



सहमति पत्र (Memorandum of Understanding)

आज दिनांक..... को यह आपसी सहमति पत्र निम्न के मध्यम/द्वारा
.....(प्रथम पक्ष व्यक्तिगत दानदाता/ भामाशाह/ एनजीओ/ संस्था/ कम्पनी
का नाम, पता, पिनकोड व राज्य सहित) जिन्हें इस सहमति पत्र में प्रथम पत्र प्रन्यासी के रूप में
सम्बोधित किया गया है और संदर्भ में जब तक अन्यथा अपेक्षित ना हो प्रन्यास में समस्त प्रन्यास
उत्तराधिकारी प्रन्यासी समनुदर्शिती, प्रशासक और विधि के प्रतिनिधि सम्मिलित समझे जायेंगे।

एवं

स्कूल शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार जरिये.....
द्वितीय पक्ष अधिकारी का नाम पदनाम कार्यालय का पता, पिन कोड सहित) जिन्हें आगे इस
सहमति पत्र में द्वितीय पक्ष के रूप में सम्बोधित किया है उसके समस्त उत्तराधिकारी— अधिकारी या
समनुदर्शिती, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित ना हो अथवा सम्मिलित समझे जायेंगे।

उद्देश्य

यह MOU पक्षों के बीच सहयोग और (उद्देश्य/परियोजना का नाम) परियोजना के लिए सहयोग की
शर्तों को परिभाषित करने के लिए हुआ है।

शर्तें—

- 1. सहयोग की अवधि:**— यह सहयोग (अवधि) के लिए वैध होगा। यह सहमति पत्र दोनों पक्षों के हस्ताक्षर से प्रभावी होगा। जब तक कि किसी भी पक्ष द्वारा (संख्या) दिनों की लिखित सूचना के साथ इसे पहले समाप्त न कर दिया जाए।
- 2. उद्देश्य:**— पक्ष (उद्देश्य/परियोजना का नाम) परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए सहयोग करेंगे।
- 3. कार्य क्षेत्र या दायरा:**— जिला, ब्लाक, व विद्यालयों के बारे में लिखे, आवश्यक हो तो विद्यालयों के सूचि जिला, ब्लाक सहित संलग्न करें।
- 4. भूमिकाएं और जिम्मेदारियां:**—
प्रथम पक्ष (व्यक्तिगत दानदाता/भामाशाह/एनजीओ/संस्था/कम्पनी) निम्न जिम्मेदारियों का वहन करेगा—
 1. प्रोजेक्ट की क्रियान्वयन सम्बन्धित समस्त गतिविधियों की कार्ययोजना प्रस्तुत कर सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करना।
 2. प्रोजेक्ट की सम्पूर्ण कार्ययोजना तथा फील्ड में क्रियान्वयन की प्रगति से परिषद् को नियमित रूप से अवगत कराना आदि।
 - 3.
 - 4.

नोट:— प्रथम पक्ष द्वारा जिन विद्यालयों में कार्य किया जायेगा उनमे से कम से कम 20 विद्यालयों में आवश्यकतानुसार शौचालय निर्माण/ शौचालय क्रियाशील सुनिश्चित करेंगे

और

द्वितीय पक्ष (स्कूल शिक्षा विभाग) की जिम्मेदारी निम्न होगी—

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

5. वित्तीय शर्तें—पक्षों के बीच वित्तीय व्यवस्था (वित्तीय शर्तें) के अनुसार होगी।

प्रथम पक्ष (व्यक्तिगत दानदाता/ भामाशाह/ एनजीओ/ संस्था/ कम्पनी) हेतु —

1. कृपया प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत राशी का उल्लेख करें।
- 2.
- 3.
- 4.

और

द्वितीय पक्ष (स्कूल शिक्षा विभाग) — राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

यह सहमति पत्र द्वितीय पक्ष हेतु पूर्णतया गैर वित्तीय होगा। किसी प्रकार का वित्तीय भार द्वितीय पक्ष द्वारा वहन नहीं किया जावेगा।

6. गोपनीयता:— पक्ष इस सहयोग के दौरान प्राप्त किसी भी गोपनीय जानकारी को गोपनीय रखेंगे।

7. संशोधन:—इस सहमति पत्र को केवल दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित लिखित समझौते द्वारा संशोधित किया जा सकता है।

8. समीक्षा और रिपोर्टिंग:— इस सहमति पत्र में वर्णित कार्यों की समय-समय पर स्कूल विभाग द्वारा समीक्षा की जा सकेगी।

9. समाप्ति:— यह सहमति पत्र निम्नलिखित परिस्थितियों में समाप्त हो जाएगा:

- सहयोग की अवधि की समाप्ति पर या समग्र शिक्षा की समाप्ति पर जो भी पहले हो
- किसी भी पक्ष द्वारा लिखित में 30 दिन का नोटिस के उपरांत
- किसी भी पक्ष द्वारा इस सहमति पत्र की शर्तों का उल्लंघन करने पर

10. विवाद समाधान—

किसी भी विवाद का समाधान दोनों पक्षों द्वारा आपसी समन्वय के माध्यम से किया जाएगा।

11. कानूनी अधिकार क्षेत्र:— यह सहमति पत्र के भारतीय कानूनों के अंतर्गत जयपुर क्षेत्र द्वारा शासित होगा।

हस्ताक्षर

यह सहमति पत्र प्रथम पक्ष के निम्न गवाहों के मौजूदगी में बिना किसी दबाव के सोच समझ कर स्वथ्य मनोदशा में दो प्रतियों में तैयार करवाकर हस्ताक्षरित किया गया। प्रत्येक प्रति पृथक से तथा दोनों सम्मिलित रूप में एक ही मूल दस्तावेज के रूप में मान्य होंगे—

द्वितीय पक्ष

प्रथम पक्ष

नाम अधिकारी, पद
कार्यालय का नाम
विभाग का पता सहित व सील

नाम {कार्यकारी अधिकारी}, पद
पता सहित सील व

गवाह

गवाह

नाम व पता

नाम व पता

गवाह

गवाह

नाम व पता

नाम व पता